परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड
(परिचय 2022)

परिवहन विभाग—संगठनात्मक ढांचा

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	कार्यालयों की संख्या	कार्यालय/चैकपोस्ट जहाँ स्वीकृत है
(1)	परिवहन आयुक्त कार्यालय	01	देहरादून
(2)	संभागीय परिवहन कार्यालय	04	देहरादून, हल्द्वानी, पौडी एवं अल्मोड़ा
(3)	उपसंभागीय परिवहन कार्यालय	16	हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, उत्तरकाशी, रूड़की, विकासनगर रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग रामनगर, उधमसिंहनगर, काशीपुर, रानीखेत, पिथौरागढ, टनकपुर, बागेश्वर एवं कोटद्वार।
(4)	संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	01	चम्पावत
(4)	चैकपोस्ट	——	शासनादेश दिनांक 16 नवम्बर 2021 द्वारा परिवहन चैकपोस्टों को समाप्त किया गया।

परिवहन विभाग–सेवा संवर्ग

सेवा संवर्ग	पदनाम	प्रास्थिति
भा0प्र0से0	परिवहन आयुक्त	विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड परिवहन सेवा	अपर परिवहन आयुक्त	अपर विभागाध्यक्ष
	संयुक्त परिवहन आयुक्त	मुख्यालय
	उप परिवहन आयुक्त	मुख्यालय
	सहायक परिवहन आयुक्त/संभागीय परिवहन अधिकारी	संभाग स्तर
	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	उपसंभाग स्तर
परिवहन अधीनस्थ कराधान सेवा संवर्ग	परिवहन कर अधिकारी	संभाग/उपसंभाग स्तर
प्राविधिक सेवा संवर्ग	संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक)	संभाग/उपसंभाग स्तर

परिवहन विभाग–सेवा संवर्ग

सेवा संवर्ग	पदनाम	प्रास्थिति
मिनिस्ट्रियल संवर्ग	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	मुख्यालय/संभाग/उपसंभाग स्तर
	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	
	प्रशासनिक अधिकारी	
	प्रधान सहायक	
	वरिष्ठ सहायक	
	कनिष्ठ सहायक	
प्रवर्तन कर्मचारी संवर्ग	वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक	मुख्यालय/ प्रवर्तन दल
	प्रवर्तन पर्यवेक्षक	
	प्रवर्तन सिपाही	
	प्रवर्तन चालक	

विभाग में प्रभावी अधिनियम/नियम

ekVj okgu ,o vU;		
1	मोटरयान अधिनियम, 1988	केन्द्रीय अधिनियम
2	केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989	केन्द्रीय नियमावली
3	उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011	राज्य नियमावली
4	उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 एवं उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार नियामवली, 2003	मोटर वाहनों पर कर सम्बन्धी अधिनियम एवं नियमावली
5	उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि नियमावली, 2008	दुर्घटना में प्रभावितों को आर्थिक सहायता सम्बन्धी
6	उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर अधिनियम, 2012	अन्य राज्य की वाहनों से राज्य में प्रवेश पर आरोपित उपकर
7	उत्तराखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) नियमावली, 2011	यूजर चार्ज से सम्बन्धित नियमावली

विभाग में प्रभावी अधिनियम/नियम

ekVj okgu ,oa vU;		
8	रेन्ट ए कैब स्कीम, 1989	किराये पर मोटर कैब का व्यवसाय करने संबंधी
9	रेन्ट ए मोटरसाईकिल स्कीम, 1997	किराये पर मोटरसाईकिल का व्यवसाय करने संबंधी
10	मोटर वाहन चालन रैगुलेशन, 2017	सड़क पर चलने के नियम
11	ऑल इण्डिया टूरिस्ट व्हीकल्स (आथेराईजेशन और परमिट) रूल्स, 2021	यात्री वाहनों के लिये ऑल इण्डिया परमिट संबंधी नियम
12	टक्कर मारकर भागना मोटर यान दुर्घटना पीडित प्रतिकर स्कीम, 2022	हिट एण्ड रन के मामलों में प्रतिकर संबंधी योजना

परिवहन विभाग में राजस्व के स्रोत

राजस्व की मुख्य मद

- मोटरयान कर
- फीस (पंजीयन, फिटनेस, परमिट, लाईसेन्स, प्रशमनशुल्क)
- ग्रीन सैस
- सेन्ट्रल पूल (नेशनल परमिट)
- प्रवेश उपकर
- विभागीय आय (प्रदूषण फार्म, निष्प्रयोज्य सामग्री आदि

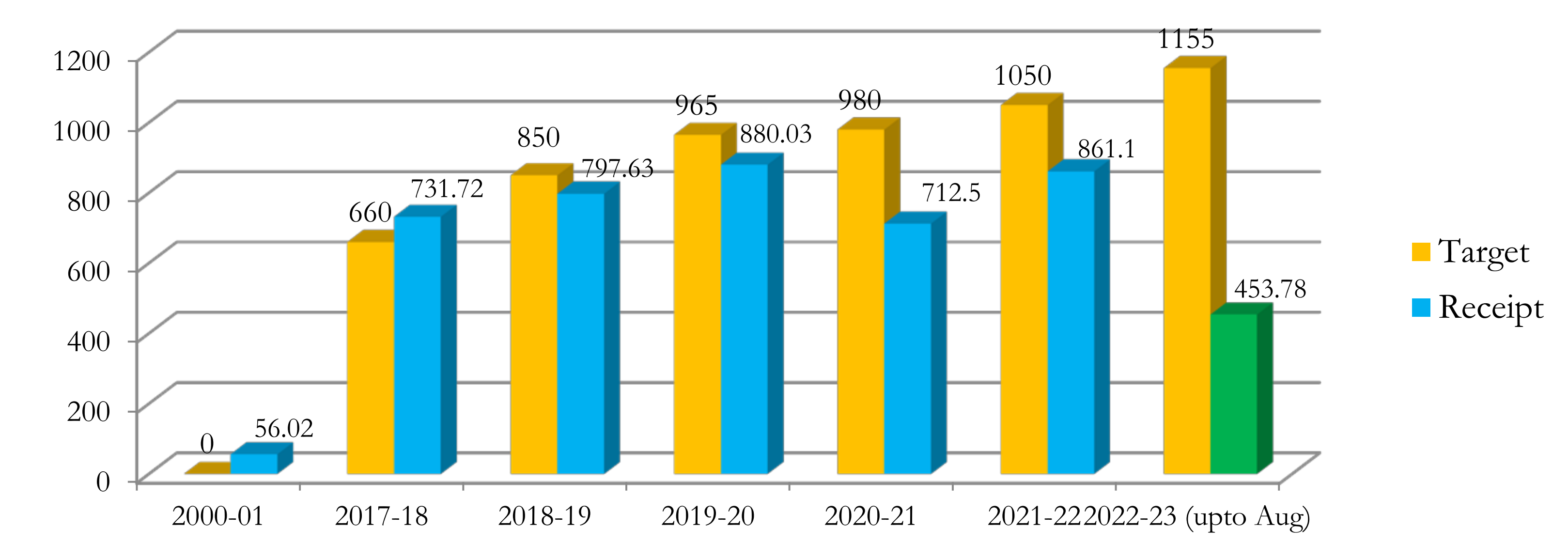

परिवहन विभाग में ई–गवर्नेन्स

- उद्देश्य
  - पारदर्शिता
  - मानवीय हस्तक्षेप कम किया जाना
  - त्रुटियों को कम किया जाना
  - त्वरित सेवा
  - ऑन लाईन सेवाओं के माध्यम से परिवहन कार्यालयों में लम्बी कतारों को कम करना।

परिवहन विभाग में ई–गवर्नेन्स

- वर्ष 2003 से वर्ष 2017 के मध्य परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं सभी संभागीय/ उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण पूर्ण किया गया।
- सभी परिवहन कार्यालयों के लिये 02 साफ्टवेयर ''वाहन'' एवं ''सारथी''
  - वाहन साफ्टवेयर — वाहनों के पंजीयन से सम्बन्धित
  - सारथी साफ्टवेयर — चालक लाईसेन्स से सम्बन्धित

- **ऑन लाईन कर भुगतान (2013 से)**
- राज्य में पंजीकृत व्यवसायिक वाहन स्वामियों के साथ–साथ अन्य राज्यों से अस्थायी आधार पर उत्तराखण्ड राज्य में आने वाले व्यवसायिक वाहन स्वामियों को ऑन लाईन कर भुगतान की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।
- उक्त सुविधा के माध्यम से कोई भी व्यवसायिक वाहन का स्वामी किसी भी समय कहीं से भी (24x7) आधार पर कर का भुगतान कर सकता है।

परिवहन विभाग में ई–गवर्नेन्स

- **पंजीयन सम्बन्धी ऑनलाईन सेवायें–**

  - eksckbZy uEcj viMs'ku
  - okgu dk LokfeRo vUrj.k
  - Okkgu Lokeh ds irs esa ifjorZu
  - iath;u iqfLrdk dh f}rh; izfr
  - ,pih, ¼_.k½ i`"Bkadu@fujLrhdj.k@ dUVhU;w,‘ku
  - O;olkf;d okguksa dk fQVusl uohuhdj.k @ f}rh; izfr
  - eksVj;ku dj dk Hkqxrku
  - vU; jkT;@laHkkx gsrq vukifRr izek.ki=
  - okgu esa ifjorZu
  - okgu dk C;ksjk ¼ifVZdqyj½
  - ukWu VªkaLiksVZ okguksa ds iath;u izek.ki= dk uohuhdj.k
  - iath;u izek.ki= dk leiZ.k ¼ljs.Mj½
  - ;k=h okgu ,oa Hkkj okgu ijfeV lEcU/kh lsok;sa
  - vkd"kZd iath;u uEcj dh vkWuykbu cqfdax@uhykeh
  - vU; jkT;ksa ls mÙkjk[k.M jkT; esa vkus okys eksVj;kuksa dk dj Hkqxrku

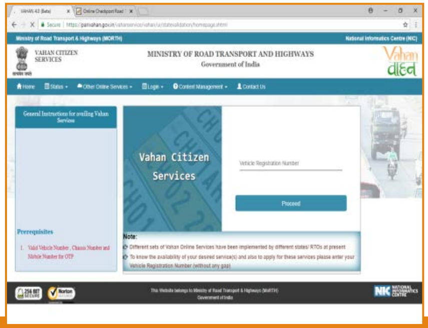

परिवहन विभाग में ई–गवर्नेन्स

- **लाईसेन्स सम्बन्धी ऑन लाईन सेवायें**
  - शिक्षार्थी लाईसेन्स
  - स्थायी लाईसेन्स
  - लाईसेन्स पर पता परिवर्तन
  - लाईसेन्स नवीनीकरण
  - लाईसेन्स पर नयी श्रेणी का पृष्ठांकन
  - इन्टरनेशनल ड्राइविंग परमिट
  - लाईसेन्स की द्वितीय प्रति
  - कण्डक्टर लाईसेन्स

परिवहन विभाग में ई–गवर्नेन्स

- **भार वाहनों को नेशनल परमिट जारी करने का कार्य**
  - उक्त सुविधा के अतिरिक्त भार वाहनों को नेशनल परमिट जारी करने का कार्य भी वैब पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।
  - उक्त पोर्टल पर जारी होने वो प्रत्येक परमिट के लिये उत्तराखण्ड राज्य को रूपये 400.00 की दर से स्टेट शेयर प्राप्त होता है।
- **स्मार्ट कार्ड आधारित अभिलेख**–
  - परिवहन विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले प्रपत्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्यू0आर0 कोड आधारित स्मार्ट कार्ड (पंजीयन प्रमाण पत्र एवं चालक लाईसेंस) जारी करने का कार्य प्रारम्भ किया गया।

परिवहन विभाग में ई–गवर्नेन्स

- **जन सुविधा केन्द्रों को अधिकार–**
  - विभाग की ऑनलाईन सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से राज्य में स्थापित जन–सुविधा केन्द्रों को परिवहन विभाग की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत किया गया है।
- **डीलर प्वाईन्ट डाटा एण्ट्री एवं कर भुगतान–**
  - उक्त योजना राज्य के सभी उपसंभागों में लागू की गयी है।
  - इस योजना के अन्तर्गत नॉन ट्रांस्पोर्ट वाहनों की बिक्री के साथ ही मोटरयान डीलर द्वारा वाहन का डाटा 'वाहन' साफ्टवेयर में फीड करते हुए देय राजस्व ऑन लाईन भुगतान कर दिया जाता है।

परिवहन विभाग में ई–गवर्नेन्स

- **डिजीलॉकर/एम परिवहन में उपलब्ध अभिलेखों को मान्यता–**
  - राज्य में डिजीलॉकर एवं एम–परिवहन एप पर उपलब्ध अभिलेखों (डी0एल0, आर0सी0, बीमा प्रमाणपत्र, कर भुगतान रसीद) को मूल अभिलेख की भॉति मान्यता प्रदान की गयी है।

- **प्रदूषण जॉच केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण–**
  - राज्य में निजी क्षेत्र में स्थापित प्रदूषण जॉच केन्द्रों को भी ऑनलाईन करते हुए वाहन पोर्टल से जोड़ा गया है।
  - वर्तमान में उक्त पोर्टल के माध्यम से निर्गत प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र संबंधी डाटा रियल टाईम आधार पर सम्बन्धित वाहन के डाटा में सुरक्षित हो जाता है।

परिवहन विभाग में ई–गवर्नेन्स

- **एम–फिटनेस के माध्यम से वाहनों की फिटनेस–**
    - व्यवसायिक वाहनों को जारी की जाने वाली फिटनेस सम्बन्धी कार्य में पारदर्शिता हेतु सभी संभागीय/ उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों में एम–फिटनेस एप के माध्यम से कार्य प्रारम्भ किया गया है।
    - उक्त एप के माध्यम से वाहन की फिटनेस के समय वाहन के फोटो लिये जाने की व्यवस्था भी की गयी है।

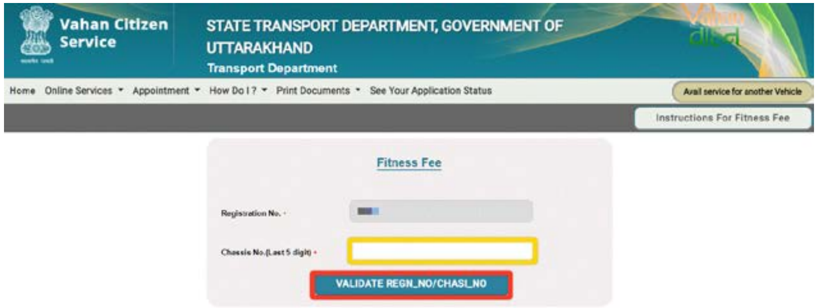

परिवहन विभाग में ई–गवर्नेन्स

- **ई–चालान व्यवस्था–**
  - प्रवर्तन कार्य में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत ई–चालान सॉफ्टवेयर लागू किया गया है।
  - सभी प्रवर्तन दलों एवं चैकपोस्टों को टैबलेट, प्रिन्टर एवं कनैक्टिविटी उपलब्ध करायी गयी है।
  - उक्त एप की विशेषताएं:–
    - **वाहन एवं सारथी से इन्टीग्रेटेड**
    - **जी0पी0एस0 लोकेशन** से इन्टीग्रेट, जिसके माध्यम से चालान के वास्तविक स्थान, समय, तिथि आदि की सूचना स्वतः ही प्रदर्शित
    - सॉफ्टवेयर में **वाहन के फोटो लिये जाने** की व्यवस्था
    - सॉफ्टवेयर **ऑफलाईन एवं ऑनलाईन दोनों मोड** में कार्य करने में सक्षम

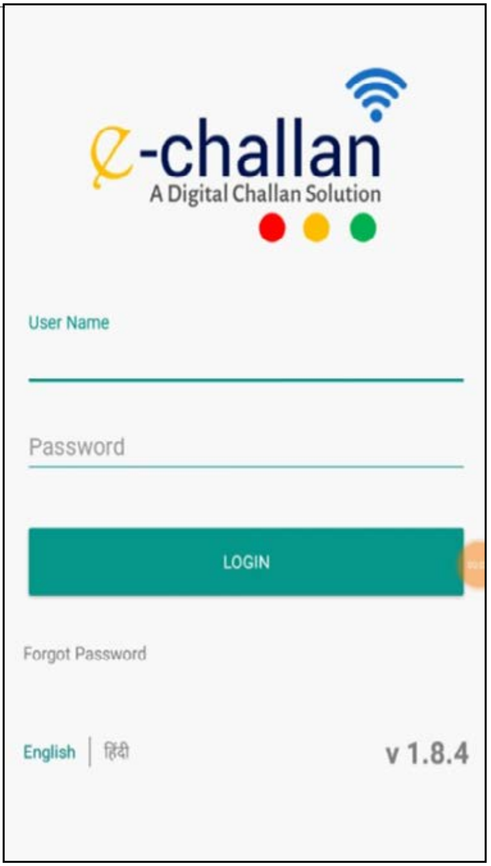

परिवहन प्राधिकरण

- राज्य/अन्तर्राज्यीय मार्गो पर परमिट जारी करने का कार्य राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा एवं सम्भाग स्तर पर परमिट जारी करने का कार्य संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राज्य में निम्नलिखित परिवहन प्राधिकरण गठित हैः–

  1– राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड (देहरादून में)

  2– संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून

  3– संभागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी

  4– संभागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी

  5– संभागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा

- परमिट सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु एक राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण देहरादून में कार्यरत।

नये वाहन पंजीयन में आबंटित होने वाली (प्रचलित श्रृंखला) सीरीज़

Series	-	Vehicle
•1- CA, CB	-	परिवहन वाहन (भारवाहन)
•2- PA	-	परिवहन वाहन (यात्रीवाहन)
•3- TA, TB	-	परिवहन वाहन (टैक्सी, मैक्सी)
•4- GA	-	राजकीय वाहन
•5- ER	-	परिवहन ई–रिक्शा
•6- EC	-	परिवहन ई–कार्ट (भार वाहन)
•7- A TO Z & AA TO AZ	-	गैर परिवहन (निजी) वाहन (मो0 साईकिल, स्कूटर, कार एवं ट्रैक्टर आदि)

नोट–व्यवसायिक भारवाहन एवं यात्रीवाहन हेतु पीले रंग की नम्बर प्लेट, समस्त इलैक्ट्रिक वाहनों हेतु हरे रंग एवं अव्यवसायिक/ राजकीय वाहनों हेतु सफेद रंग की नम्बर प्लेट लगायी जानी अनिवार्य है।

Private Vehicles

Commercial Vehicles

Embassy Or Consulate Vehicles

Rental Or Self-Driven Vehicles

Electric Vehicles

Military Vehicles

उत्तराखण्ड राज्य के परिवहन कार्यालयों में मोटर वाहनों को आवंटित किए जाने वाले आकर्षक/अति महत्वपूर्ण/महत्वपूर्ण एवं इच्छित पंजीयन नम्बरों हेतु निर्धारित शुल्क एवं आबंटन की प्रक्रिया

क्रम संख्या	पंजीयन नम्बर का प्रकार	पंजीयन नम्बर आरक्षण हेतु न्यूनतम मूल्य
1	नीलामी हेतु आरक्षित संख्याएं	न्यूनतम आरक्षित मूल्य 0001 एवं 0786 हेतु रू.100000/–, 0002 से 0009 तथा 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999 हेतु रू.25000/– एवं अन्य नीलामी नम्बरों हेतु रू.10000/–
2	अति महत्वपूर्ण रजिस्ट्रीकरण संख्याएं	देय शुल्क रू. 10000/– (90, 200, 300, 400, 500, 600 आदि)
3	आकर्षक रजिस्ट्रीकरण संख्याएं	देय शुल्क रू. 5000/– (111, 222, 333, 444, 555, 666 आदि)
4	महत्वपूर्ण रजिस्ट्रीकरण संख्याएं	देय शुल्क रू. 2000/– (18, 20, 30, 1010, 2020, 3030 आदि)
आवेदक उपरोक्त नम्बरों के अतिरिक्त अन्य इच्छित नम्बर हेतु रू. 2000/– का शुल्क जमा करा सकता है।		

अधिसूचित पंजीयन नम्बरों की ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने, आकर्षक/अति महत्वपूर्ण/महत्वपूर्ण तथा अन्य इच्छित नम्बरों के लिए आवेदक परिवहन विभाग के पोर्टल https://parivahan.gov.in/fancy/ पर आवेदन कर सकते हैं।

परिवहन विभाग अंतरविभागीय सम्बन्ध

1. चुनाव हेतु वाहनों का अधिग्रहण – नोडल अधिकारी परिवहन।
2. शासकीय वाहन क्रय/रखरखाव का नियमन
3. वाहनों की मरम्मत,मूल्यांकन एवं नीलामी
4. उत्तराखण्ड प्रदेश में शासकीय चालकों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कार्य।
5. आउटसोर्सिंग से विभागों में वाहनों की उपलब्धता हेतु समिति में सदस्य।
6. मार्ग सर्वेक्षण–राजस्व,पी0डब्ल्यू0डी0एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण।
7. लोक निर्माण विभाग के साथ दुर्घटना सम्भावित स्थलों का चिन्हीकरण।
8. आपदा में राहत/बचाव कार्य हेतु वाहनों का अधिग्रहण।
9. ट्रैफिक प्लान।
10. सड़क सुरक्षा समिति
11. जिलाधिकारी द्वारा कई समितियों में नामित–

(1) वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली समिति (2) जिला उद्योग समिति(3) यातायात समिति आदि।

12. परमिट प्रक्रिया।

13. उपजिलाधिकारी को प्रवर्तन का अधिकार।

14. उपजिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा वाहनों की संयुक्त चैकिंग।

15. कर वंचना/अभियोजन बैठक।

16. वाहन दुर्घटना : **सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं सम्भागीय निरीक्षक(तकनीकी)** – तकनीकी जाँच

उपजिलाधिकारी – मजिस्ट्रेटी जाँच

जिलाधिकारी – दुर्घटना राहत निधि (सार्वजनिक सेवायान से प्रभावितों हेतु दुर्घटना राहत निधि से सहायता)

17. तोषण योजना 1989 (हिट एण्ड रन)।

18. चारधाम यात्रा डयूटी का निर्वहन एवं यात्री वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करना।

सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य

विगत 05 वर्षों में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण–

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	दुर्घटना की गम्भीरता*
2016	1591	962	1735	60.46
2017	1603	942	1631	58.08
2018	1468	1047	1571	71.30
2019	1353	866	1459	64.01
2020	1041	674	854	64.75
2021	1405	820	1091	58.36

*गम्भीरता से आशय प्रत्येक 100 दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या से है।

सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य

- **सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कृत कार्यवाही का विवरण–**
  - सम्मुख प्रस्तुत परिषद / समितयों का गठन।
  - उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा नीति का प्रख्यापन।
  - उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना।

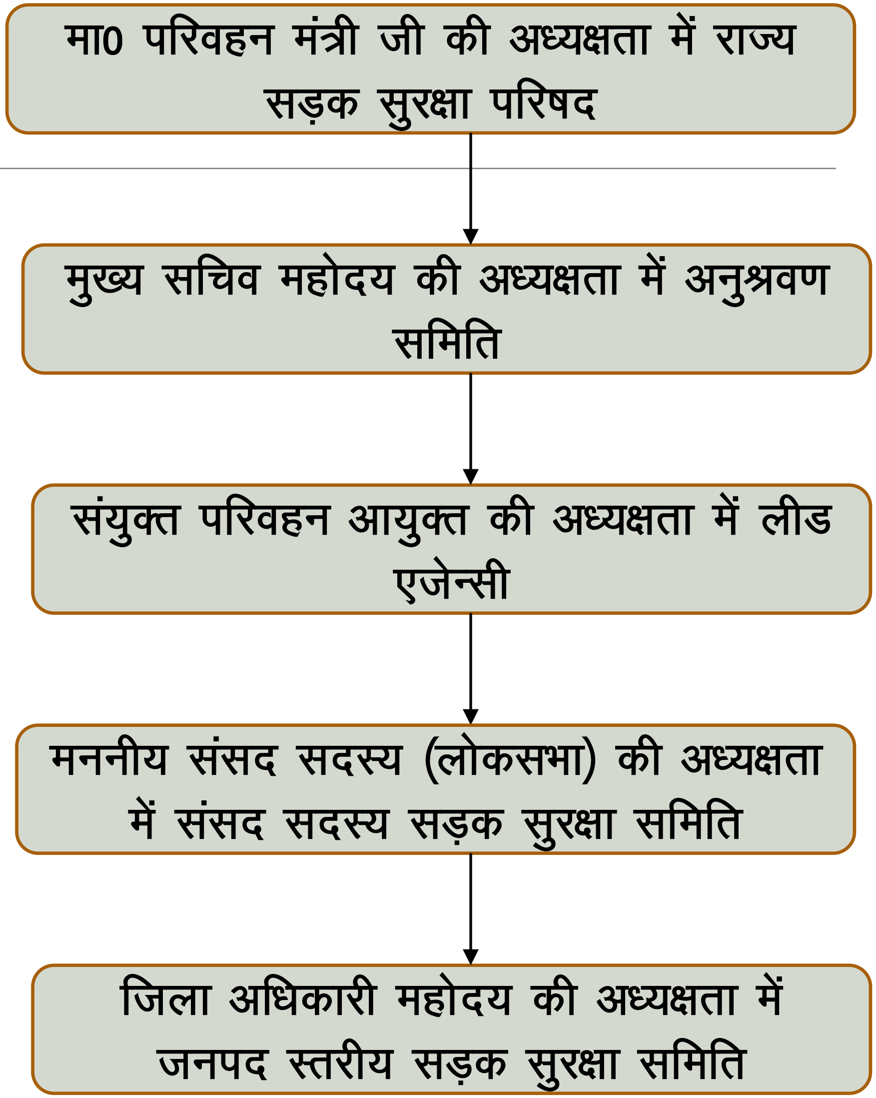

सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य

- **प्रवर्तन कार्य का सुदृढ़ीकरणः**—परिवहन विभाग हेतु 08 इन्टरसेप्टर वाहन तथा 18 स्पीड रडार गनों का क्रय किया गया है।
- **नशे की हालत में वाहन चलाने की जॉच हेतुः—**नशे की हालत में वाहन संचालित करने वाले चालकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु 40 एल्कोमीटर क्रय कर प्रवर्तन दलों को आवंटित किये गये हैं।
- **स्पीड गवर्नर**— ओवरस्पीडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु व्यवसायिक वाहनों में गति नियन्त्रक उपकरण की अनिवार्यता की गयी है, अभी तक लगभग 1,04,965 वाहनों में गति नियन्त्रक उपकरण संयोजित किये है।
- **ऑटोमेटेड ड्राईविंग टैस्ट ट्रैक्स की स्थापना—**
  प्रस्तावित : सभी संभागीय/उपसंभागीय कार्यालय
- **वाहनों में वीएलटी की स्थापना—**
  दिनांक 01—01—2019 से पंजीकृत होने वाले सार्वजनिक सेवायानों पर वी0एल0टी0 डिवाईस लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।
- **नियमित प्रवर्तन की कार्यवाही—**

सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य

- सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने पर पुलिस, अस्पताल या कोई भी सरकारी या निजी एजेंसी द्वारा उत्पीड़न नही किया जायेगा।
- विभिन्न 6 अभियोगो में से किसी भी अभियोग मे चालान होने पर अनिवार्य लाइसेंस निलम्बन (न्यूनतम तीन माह)–

  (A) नशे की हालत में वाहन चलाना

  (B) तेज गति से वाहन चलाना

  (C) ओवरलोड (भारवाहन)

  (D) रेड लाईट जम्पिंग

  (E) भार वाहन में सवारी ढोना

  (F) वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग
- दो अभियोगो में अनिवार्य काउंसलिंग–

  (A)बिना हेलमेट (B) बिना सीट बैल्ट
- स्कूल बसों के सम्बन्ध में दिये गये 17 बिन्दुओं पर आवश्यक निर्देश।

सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य

- **सड़क तकनीकी कार्य हेतु सुझाव** –
  - परिवहन विभाग द्वारा मार्ग का रोड सर्वे कर पक्के/कच्चे मार्गों का चिन्हिकरण, हल्का/भारी वाहन संचालन हेतु उपयुक्त है या नही, रोड पर पैराफिट, क्रैश बैरियर, रोड साईनेज इत्यादि लगाये जाने हेतु सुझाव प्रदान किया जाना, दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों का चयन किया जाना।

- **सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन** –
  - परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह संचालित किया जाता है। जिसके अन्तर्गत निम्नवत्रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है–
    - **स्कूल, कालेजों एवं शिक्षण संस्थाओं में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम–**

1. चित्रकला 2. भाषण प्रतियोगिता 3. स्लोगन 4. सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन

- **विभिन्न मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल/प्रदूषण जॉच केन्द्रों के सहयोग से आयोजित होने वाले कार्यक्रम**

1. नेत्र परीक्षण कैम्प 2.प्रदूषण जॉच कैम्प 3.वाहनों पर रिफ्लेक्टर (परावर्ती टेप) लगाना

4. पम्पलेट वितरण।

दुर्घटना राहत निधि में प्रभावित व्यक्तियों के लिये आर्थिक सहायता में वृद्धि

- सार्वजनिक सेवायानों की दुर्घटना होने की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दुर्घटना राहत निधि का गठन किया गया है।
- अधिसूचना दिनांक 17–07–2017 के अन्तर्गत उक्त निधि से प्रदान की जाने वाली राहत राशि निम्न प्रकार हैः–
  - मृत्यु होने की स्थिति में — रूपये 1.00 लाख
  - गम्भीर रूप से घायल होने की स्थिति में — रूपये 40,000
  - साधारण घायल होने की स्थिति में — रूपये 10,000

परिवहन विभाग के अन्तर्गत आटोमेशन कार्य

प्रस्तावित आटोमेटिड टेस्टिंग लेन (फिटनेस जॉच हेतु)

प्रस्तावित आटोमेटिड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (चालकों की परीक्षा हेतु)

आईडीटीआर (चालकों के प्रशिक्षण हेतु)

IDTR, Dehradun

- लगभग 4 हैक्टेअर भूमि पर निर्मित
- लगभग 2 किमी से अधिक ड्राईविंग टैक्स
- मारूति सुजुकी इण्डिया लि0 के माध्यम से संचालित।
- 06 कक्षाएं
- 13 वाहनें
- वाहन प्रदर्शन कक्ष
- हॉस्टल सुविधा उपलब्ध

HAMS (चालकों की परीक्षा हेतु)

HAMS (Harnessing Automobile Safety)

- Developed with the help of Microsoft and IDTR.
- Running in Dehradun as pilot project
- Testing of more than 10,000 drivers
- Pass %age fell down from 95% to 65%.
- Maximum number of parameters covered under MV Act.
- The project has been awarded "**Mukhyamantri Sushan avm Utkrashtata Award**"
- Also placed in **Cofee Table Book** published by Govt. of India for innovation.

वाहन लोकेशन ट्रेकिंग एवं आपातकालीन अलर्ट सिस्टम

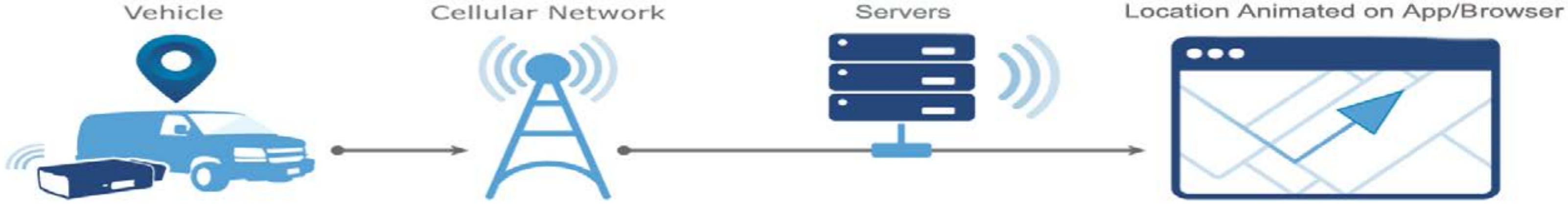

नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत उत्तराखण्ड सरकार एवं भारत सरकार की पहल

निर्भया फ्रेमवर्क के अन्तर्गत राज्य में वीएलटी प्लेटफॉर्म की स्थापना

नियम 125H, केन्द्रीय मोटर नियमावली, 1989

एआईएसः 140 (AIS:140) प्रोटोकॉल

01–01–2019 से पंजीकृत सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में अनिवार्य वीएलटीडी फिटमेंट

राज्य में 16 वी0एल0टी0 डिवाइस निर्माता सूचीबद्ध है।

अभी तक 17842 वाहनों में वीएलटी डिवाईस की स्थापना।

वाहन लोकेशन ट्रेकिंग एवं आपातकालीन अलर्ट सिस्टम

एनआईसी के सहयोग से वीएलटी पोर्टल का निर्माण

- उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जिसके द्वारा एनआईसी के सहयोग से भारत सरकार के मानकों के अनुरूप बैकएण्ड साफ्टवेयर विकसित।

पोर्टल के डाटा संरक्षण हेतु स्टेट डाटा सेंटर में सर्वर की स्थापना

पोर्टल का वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर के साथ इन्टीग्रेशन

आपातकालीन अलर्टस पर प्रभावी कार्यवाही हेतु वीएलटी पोर्टल का NERS112 के साथ इंटीग्रेशन

मुख्यालय स्तर पर वीएलटी कंट्रोल एवं कमांड सेंटर की स्थापना

- विडियो वाल का निर्माण
- वीएलटी पोर्टल पर कार्य करने हेतु आपरेटर की नियुक्ति
- हेल्पडेस्क का संचालन

वाहन लोकेशन ट्रेकिंग एवं आपातकालीन अलर्ट सिस्टम

VLT Control Room at TC Office, Dehradun

धन्यवाद